न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 163/2015/223 आर टी ए

पृथ्वीसिंह पुत्र मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. फुलाराम पुत्र जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. नेरगराम पुत्र जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
3. जेराराम पुत्र जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
4. पलाराम पुत्र जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
5. बिन्दुडी पुत्री जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
6. खजानी पत्नि मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
7. ईन्द्र पुत्र मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
8. चानण पुत्र मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
9. मोहम्मद पुत्र मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
10. रामी पुत्री मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
11. खजूरी पुत्री मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
12. बुगली पुत्री मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
13. कमला पत्नि झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
14. दिनेश पुत्र झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
15. राजा पुत्री झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
16. बलराम पुत्र छेलूराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं. 42/14 अनवानी फुलाराम बनाम पालाराम आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 3 व 4

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17

निर्णय दिनांकः–27.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष समस्त पक्षकार राजीनामा के समय उपस्थित नही थे।

रेस्पो0 सं. 10 उपस्थित नही थी तथा उक्त राजीनामा से करीबन सभी रेस्पो0 अनपढ़ थे उन के अंगुठे निशान लगवा लिये गये जबकि वाद भूमि के हिस्से भी कम ज्यादा का विभाजन कर दिया तथा अपीलांट व रेस्पो0 को उक्त राजीनामा पढ़ कर नही सुनाया गया भूमि का सही तौर से विभाजन नही किया गया। उक्त राजीनामा मे जिस के जितनी हक हिस्सा मे भूमि आती थी उतनी दर्ज नही की गई। रोही मौजा भनाई के खाता सं. 211/97 के खसरा नं. 74 की 4.3000 है0 भूमि स्थित थी जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 का 4/10 हिस्सा, रेस्पो0 सं. 5 का 1/10 हिस्सा तथा अपीलांट का 0.48375 है0 यानि 1.18 बीघा भूमि का खातेदार है जिसमे अपीलांट की 1.14 बीघा भूमि खरीदशुदा है तथा पिता के हिस्से मे से अपीलांट को 0.05375 है0 भूमि हिस्सा मे आती है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय रेस्पो0 सं. 6 ता 12 की भूमि का खाता विभाजन नही किया तथा अपीलांट को उसकी खरीदशुदा भूमि 1.14 बीघा भूमि का विभाजन किया गया उसमे भी 1.04 बीघा भूमि विभाजन मे अपीलांट को दी है शेष 10 बिस्वा भूमि का खाता अलग नही किया गया उक्त भूमि किस के नाम दर्ज की है, का कोई स्पष्ट विवरण नही दिया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम (सरकारी नियम 1955) के नियम 18 ता 21 की पालना नही की तथा कब्जा काश्त व बंटवारा नजरी नक्शा मे तरमीम नही किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरएलडब्ल्यू 2012(1) पेज 4, आरएलडब्ल्यू 2015 (2) पेज 991 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता तकसीम बाबत दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे समस्त पक्षकारान एवं अपीलांट द्वारा लोक अदालत भावना से राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया जिस पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित है और राजीनामा पढा एवं सुनाया जाकर बाद तस्दीक स्वीकार किया गया है तथा राजीनामा के आधार पर लोक

अदालत मे वाद डिक्री मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर सुनाया गया। राजीनामा मे यह उल्लेखित किया गया है कि दावा मे वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है एवं नजरी नक्शा के अनुसार कृषि भूमि का रजामंदी से एवं लोक अदालत की भावना से खाता तकसीम करवाना चाहते है। पक्षकारान ने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान संलग्न नक्शा पर स्वेच्छा से कर दिये है। इसी राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। जो विधिसम्मत है। इस प्रकार सहमति एवं राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को अपीलांट चुनौती नही दे सकते है। उक्त राजीनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाया जाना चाहिए। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे मियाद अधिनियम के बिन्दू पर तर्क करते हुये अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन करते हुये अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं0 1 द्वारा संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि के संबंध मे खाता तकसीम का अनुतोष चाहते हुए दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरांत मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा एवं राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा दोनो पर अपीलांट की प्रस्तुत भिन्न भिन्न दर्शाई गई। चूंकि प्रकरण मे राजीनामा बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांट के बतौर हस्ताक्षर प्ररथी अंकित है और नजरी नक्शा मे अपीलांट की बतौर अंगुठा निशानी पर पृथ्वी अंकित है। इस प्रकार एक और तोर

अपीलांट के हस्ताक्षर किये गये और दूसरी ओर अपीलांट की अंगूठा निशानी अंकित की गई। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा संदेहप्रद प्रतीत होता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण

की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ